

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल  
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 22-10/6/2019

क्र. एफ 16 -05/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स वंडर सीमेंट लि. (आर.के. ग्रुप) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खेरवास, तहसील बदनावर, जिला धार में प्रथम चरण में रु. 200 करोड़ के पूंजी निवेश से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले स्थायी पूंजी निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) पर 40 प्रतिशत की समान दर से शर्तों के अध्याधीन दी जावे।
2. विद्युत शुल्क से छूट - ऊर्जा विभाग की प्रचलित नीति अनुसार विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. विद्युत टैरिफ में रियायत - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
5. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
(डॉ. राजेश राजवडे)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

CM(J)

  
25.6.2019

पृ.क्र. एफ 16 -05/2019/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 22/06/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
5. कलेक्टर, जिला इन्दौर।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स वंडर सीमेंट लि. (आर.के. ग्रुप), Makrana Road, Madanganj, Kishangarh - 305 801, District - Ajmer, Rajasthan.  
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6-6-1)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग